

23/10/18

वकील अपीलेंट श्री दिनेश वैष्णव एवं अपीलेंट
स्वंध उपास्थित वकील अपीलेंट द्वारा प्रार्थना
पत्र दिनांक 23/10/2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि उक्त विचाराधीन पत्रावली में पक्षकारान्
के मध्य लोक अदालत की भावना से सम्झौता
हो चुका है। अतः अपीलेंट उक्त अपील को
आगे नहीं चलाना चाहते हैं। लिहाजा अपीलेंट
द्वारा प्रस्तुत अपील परिये विशेष खारिज
फरमाई जावे।

अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायादाल में
स्वीकार किया जाकर अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत
अपील परिये विशेष खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल सुनार होकर बाद आवश्यक
कार्यवाही याचिल दफतर होकर नम्बर से मुम
हो।

राजस्य अपील प्रारिज
शाली

प्रभकरां
पदवानकरी
Dev@11
23/10/18